



स्वच्छ भारत अभियान

दिनांक 09.03.2018  
स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के सम्पत्तिकर अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भिलाई, निगम प्रशासन द्वारा वर्ष 2017-18 का बकाया सम्पत्तिकर 31 मार्च से पहले जमा करने पर 10 प्रतिशत लगने वाले अधिभार से छुट प्रदान करते हुए इस छुट का लाभ उठाने का अनुरोध किया है।

31 मार्च 2018 तक बकाया सम्पत्तिकर जमा नहीं करने पर 18 प्रतिशत अधिभार के अतिरिक्त एक हजार रुपये शास्ति शुल्क अधिरोपित करते हुए जमा कराया जावेगा तथा पुराने बकायादार जो सम्पत्तिकर जमा नहीं किये हैं उसकी सम्पत्तिकर की वसूली नियमानुसार सम्पत्ति कुर्क कर वारंट के द्वारा वसूली की जावेगी।

जनसम्पर्क अधिकारी